

Green Bhoomi Homes

(A Unit of Vijaya Homes Group)

2nd Floor, Gajraj Mansion, Bistupur, Jamshedpur, Jharkhand - 831001. Ph : 0657-2321691



To,

Date: 25/08/2024

The Jharkhand Real Estate Regulatory Authority,
7th Floor, Ranchi Municipal Corporation,
Near Kutchary, Ranchi,
Jharkhand – 834001

Respected Sir,

As desired by your honour in the online Application Form regarding the “External Development Work” in our housing Project “Vindhya” situated at Mouza Moharda, Jamshedpur, we would like to inform your honour as follows:

External Development Work

- a) Fire Fighting Facility: The Fire Fighting arrangement will be done as per the sanction plan and Fire Advisory as issued by the Jharkhand Fire Department (attached herewith).

We hope your honour will find the above in order.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Green Bhoomi Homes

Authorised Signatory

Rakem
Authorised Signatory

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-21.05.2024

सेवा में,

ARUN ABHISHEK GAUR,
M/S GREEN BHOOMI HOMES,
PROJECT-"VINDHYA",
2nd Floor, Gajraj Mansion, Diagonal Road, Bistupur, Jamshedpur.

विषय:- मौजा-MOHARDA, प्लॉट नं0-668(P),717(P),718 (NEW) & 4598,4654 (R.S.), खाता नं0-16 (NEW) & 13 (R.S.), वार्ड नं0-17, थाना नं0-1200, जिला-पूर्वी सिंहभूम में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन का स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-562 दिनांक-13.05.2024 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित आवासीय भवन परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 1,00,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम 20,000 लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में 100mm डायामेटर वाले वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा एक-एक अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. भवन के सतही तल को Heat Detector से सुरक्षित किया जाय।
6. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 2280 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
7. 900 Lpm क्षमता वाले एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय एवं 180 Lpm क्षमता वाले एक जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय।
8. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
9. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय एवं पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
10. उपर्युक्त भवन के प्रत्येक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय एवं भवन में दो सीढ़ी होनी चाहिए एवं सीढ़ियों की चौड़ाई NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
11. सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए।
12. सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
13. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवल डिसटेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
14. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से ही कराया जाय।
15. मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 4.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखा जाय।

16. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Auto Modular Fire Extinguisher एवं मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30 MM मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
17. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
18. भवन में एक Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो।
19. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
20. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
21. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
22. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
23. संबंधित भवन में कभी भी किसी भी प्रकार का विवादित मामला होने पर संबंधित भवन को दिये गये अग्नि-सुरक्षात्मक को जाँचोपरान्त कभी भी रद्द किया जा सकता है।
24. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JITENDRA TIWARY

Digitally signed by JITENDRA TIWARY
DN: c=IN, o=PERSONAL, title=9053,
2.5.4.20=894e76e7a55211af8cedc5c01fc9008f3f4b20579f87b90a96d6b7a54
58ea0b0, postalCode=834004, st=JHARKHAND,
serialNumber=c2ef3f40dd8c08af2be3efeb12fbb7360caeb368d01281729c3d
8961d7e6d816, cn=JITENDRA TIWARY
Date: 2024.05.21 07:27:58 +05'30'

(जितेन्द्र तिवारी)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

For Green Bhoomi Homes

Rakem's
Authorised Signatory